



रामपुर पुलिस



छेडछाड व अश्लील बाते करने के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2019 को अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी के साथ छेडछाड करने व अश्लील बाते करने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0 223/19 धारा 354घ भादवि व 3(2)V(a) Sc/St Act बनाम पुष्पेन्द्र पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 11.07.2024 को मा0न्या0 ADJ Sc/St Act, रामपुर द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त को 02 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पुष्पेन्द्र पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर।